नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/22	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व में दिये गए आदेश की पालना हेतु अवसर चाहा । अन्तिम अवसर दिया। जाकर पत्रावली दिनाक 2-9-22 को पेश हो ।	
19/22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० हैं। वकील अप्रार्थी ने फर्द दस्तावेज की सूची के साथ दस्तावेज पेश किये। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र T.I. हेतु दिनांक 19/12/22 को पेश हो।	
19/12/22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रा० पत्र T.I. सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11.1.23 को पेश हो।	
11.1.2023	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रा० पत्र T.I. में वकील उभयपक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित खलिहान का खसरा नम्बर या चतुर्सीमा प्रार्थी ने अंकित नही की है। खलिहान सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि होती है। जिसके उपयोग करने से किसी व्यक्ति विशेष को पाबंद किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है। सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.06.30 18:03:29 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT एक्ट वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।
	उपखण्ड अधिकारी बैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.06.30 18:03:29 IST
Reason: SelfAttested